न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 58/2007/75 एलआर एक्ट

1. कृष्णकुमार पुत्र महेन्द्र जाति छिंपा निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. मांगीलाल पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
3. भगतराम पुत्र रामधन जाति जाट निवासी जनानियां तहसील नोहर।
4. महावीर पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी जनानियां तहसील नोहर।
5. राजेन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी जनानियां तहसील नोहर।
6. सन्तलाल पुत्र बेगराज जाति कुम्हार निवासी जनानियां तहसील नोहर।
7. हरिसिंह पुत्र नत्थुराम जाति नायक निवासी जनानियां तहसील नोहर।
8. इन्द्राज पुत्र धनपत जाति जाट निवासी जनानियां तहसील नोहर।

––अपीलान्टस

–: बनाम :–

1. बलवीर पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी जनानियां तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर।

––रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.07.2005 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर मिसल नं. 127/05 अनवानी प्रार्थना पत्र बलवीर पुत्र निकूराम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :–

श्री विजय सिंह अधिवक्ता अपीलाण्टस
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांक –19.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 4 बारानी के प.न. 371/385 मु.न. 21 की 2.448 है0 भूमि अपनी खातेदारी भूमि के चिपते हुए आराजी सिवाय चक जो काफी वर्षो से कब्जा मे है, का कथन करते हुए उक्त भूमि को स्मालपैच मे आवंटन करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 को आवंटित कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून होने के कारण खारिज योग्य है। उक्त आवंटन दिनांक 28.07.2005 को राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा प्रोजेक्ट राजकीय भूमि आवंटन एवं सैल) नियम 1955 के नियम 17(ए) मे छोटी पटटी के रूप मे किया गया है जबकि उस नियम के मुताबिक ना तो कोई पत्रावली मुरतिब की गई है और ना ही विवादित भूमि के पड़ौसियों को कोई नोटिस दिया गया तथा समस्त कार्यवाही आवंटन नियम विरूद्ध की गई। विवादित भूमि रेस्पो0 सं. 1 का कब्जा मानकर आवंटित की गई है जबकि उक्त भूमि कभी भी रेस्पो0 सं. 1 के कब्जा काश्त मे नही रही है और ना ही अब है। उक्त भूमि हमेशा खेल मैदान के रूप मे काम आती है और अब भी आ रही है। आवंटन आदेश पारित करते समय कोई भी सार्वजनिक नोटिस व उक्त भूमि के पड़ौसियों को नोटिस व सुनवायी का अवसर नही दिया गया है, जो न्याय के खिलाफ है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी पर कथन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित मे तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 4 बारानी के प.न. 371/385 मु.न. 21 की 2.448 है0 भूमि अपनी खातेदारी भूमि के चिपते हुए आराजी सिवाय चक जो काफी वर्षो से कब्जा मे है, को स्मालपैच मे आवंटन करने हेतु अनुतोष चाहा गया। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नोहर को जांच रिपोर्ट पत्र लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवंटित की गई है जो सही है। प्रश्नगत भूमि आवंटित होने के पश्चात रिकार्ड मे रेस्पो0 के नाम दर्ज हो चुकी है तथा मौका पर कब्जा भी रेस्पो0 है। अपीलांट सं. 3 द्वारा शपथ पत्र मे भी यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0 बलवीर का कब्जा है तथा उक्त भूमि रेस्पो0 को सही तौर पर आवंटित की गई है। वादग्रस्त भूमि काबिले काश्त है तथा अलॉटमेंट पूर्णतया सही है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये का कथन किया। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी चक 4 बारानी बहक बलवीर सिंह, नकल नामान्तरण सं. 272 चक 4 बारानी, नकल चालान रसीद चक 4 बारानी आदि अपील के निस्तारण मे सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि जमाबंदी सम्वत 2058 चक 4 बारानी के अनुसार प्रश्नगत भूमि सिवाय चक काबिले काश्त रिकार्ड मे दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी चक 4 बारानी सम्वत 2059–62 के अनुसार उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि पर कोई काश्त नही की गई और कब्जा भी नही दर्शाया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि का आवंटन बिना पडौसी काश्तकारो को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये रेस्पो0 सं. 1 को अपीलाधीन आदेश जरिये किया गया है। जबकि अपीलांट वादग्रस्त आवंटित भूमि के चिपते काश्तकार है तथा वादग्रस्त भूमि अपीलांट के कथनानुसार मौके पर खेल मैदान के रूप मे उपयोग व उपभोग मे ली जा रही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिपूर्ण नही होने के इसकी पुष्टि किया जाना न्यायंसगत नही होने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2005 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते प्रश्नगत भूमि के सार्वजनिक खेल मैदान के रूप मे उपयोग एवं उपभोग संबंधी मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त करते हुए तथा वादग्रस्त भूमि के चिपते पड़ौसी काश्तकारो की जांच कर सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नये सिरे विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.05.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official